फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री दिनेश चन्द्र सनाढ्य पिता श्री आनंदीलाल सनाढ्य, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण मंच, आनंद विला, आनंद विहार, किशोर नगर, राजसमंद — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 11/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 17.04.2023

पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु ऑन लाईन प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा जरिये पत्रांक सूचना का अधिकार/2023/06 दिनांक 10.03.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड नाथद्वारा के प्रत्येक गांव/शहर में सरकारी जमीन (बिलानाम, चारागाह, आम रास्ते) पर किए गए अतिक्रमण का विवरण तथा अतिक्रमण के संबंध में 01.04.2021 के बाद प्राप्त सभी शिकायतें एवं प्राप्त सभी शिकायतों पर की गई कार्यवाही के संपूर्ण विवरण के संबंध में चाही गई सूचना नाथद्वारा उपखण्ड के अधीन तीनों तहसीलों से प्राप्त की जाकर कार्यदिवस में कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को दिनांक 10.03.2023 को लिखा जा चुका है।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड कार्यालय नाथद्वारा के अधीन तीनों तहसीलों से प्राप्त हो जाने से अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यदिवस में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा में उपस्थित होकर वांछित सूचना नियमानुसार प्राप्त करें।

अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)